सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 91

निशक्तता कार्य विभाग

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	...	...	...	...	...	...	...	...	528.00	67.89	595.89
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*37.00*	...	*37.00*
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	**565.00**	**67.89**	**632.89**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	12.89	17.89
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण													
2. दीनदयाल नि:शक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00
3. राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षप्त और अस्थ विकलांग संस्थान	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	97.00	50.16	147.16
4. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
5. भारतीय पुनर्वास परिषद	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.50	1.75	6.25
6. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सहायक सामग्री और उपकरण	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98.00	...	98.00
7. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीमें	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.60	...	44.60
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26.40	...	26.40
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*71.00*	...	*71.00*
8. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की स्कीम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.80	...	1.80
9. नि:शक्त छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.70	...	10.70
10. राजीव गांधी राष्ट्रीय विकलांग अध्येता वृत्ति	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15.30	...	15.30
11. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्य कार्यक्रम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57.00	2.40	59.40
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.70	...	10.70
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*67.70*	*2.40*	*70.10*
जोड़-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**466.00**	**54.31**	**520.31**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**466.00**	**54.31**	**520.31**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना													
12. राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	वास्तविक 2012-2013 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2012-2013 जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	बजट 2013-2014 आयोजना-भिन्न	बजट 2013-2014 जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	संशोधित 2013-2014 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2013-2014 जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	बजट 2014-2015 आयोजना-भिन्न	बजट 2014-2015 जोड़
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*5.00*	...	*5.00*
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
समाज कल्याण													
13. द्विपक्षीय करार के तहत सामग्री सहायता संबंधी संवितरण खर्च	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.69	0.69
14. सार्वजनिक उद्यमों के निवेश	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.00	...	33.00
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीम हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52.00	...	52.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*56.00*	...	*56.00*
कुल जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	***565.00***	***67.89***	***632.89***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
14.01 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	22235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.00	...	33.00
जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**33.00**	...	**33.00**
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	499.00	...	499.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56.00	...	56.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**560.00**	...	**560.00**
राज्य योजना:													
1. नि: शक्त व्यकियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
जोड़ - राज्य योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**5.00**	...	**5.00**
जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	**565.00**	...	**565.00**

1. **सचिवालय:** इसमें नि:शक्तता कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **दीनदयालय विकलांगजन पुनर्वास योजना:** इस योजना के अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य सहबद्ध कार्यकलापों के जरिए, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

3. **राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त और अस्थि विकलांग व्यक्ति संस्थान:** अनेक कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की नीति के अनुरुप तथा विकलांग व्यक्तियों की बहु-आयामी समस्याओं के कारगर निदान की दृष्टि से, 7 संस्थान अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान, विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं और विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत समितियां हैं और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित हैं। इसमें राष्ट्रीय संकेत भाषा संस्थान हेतु प्रावधान भी शामिल है।

4. **कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम:** इस प्रावधान में कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में नवम्बर, 1992 में कानपुर में इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक यंत्रों एवं उपकरणों के द्वारा विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण और उनकी गरिमा को बहाल किया जा सके, को सहायता अनुदान प्रदान करना है।

5. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** इस प्रावधान में भारतीय पुनर्वास परिषद जो एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है, को देश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों के प्रशिक्षण में समान मानक लागू करने के लिए सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

6. **शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण:** इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, अत्याधुनिक, वैज्ञानिक रुप से विनिर्मित, आधुनिक और मानक सहायक सामग्री और उपकरण प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए विभिन्न कार्यान्वियन कर्त्ता अभिकरणों को सहायता अनुदान प्रदान करना है जो उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ा सके।

7. **नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन की योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों और स्वायत्तशासी निकायों और विश्वविद्यालयों को निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वियन, विशेष रुप से पुनर्वास और बाधारहित पहुंच व्यवस्था करने से संबंधित कार्यकलापों को सहयोग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाधारहित पहुंच जिसमें रैम्प, लिफ्ट, टेक्टाइल पाथ, विकलांगजन अनुकूल शौचालय, नवउत्पाद विकास, विकलांगजन अनुकूल वेबसाइट का सृजन और अनुसंधान शामिल हैं, सहित व्यापक कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यालय भवनों और सरकारी वेबसाइटों तक पहुँच बनाने पर जोर दिया जाता है।

8. **शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार संबंधी योजना:** इस योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के रुप में पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता के अंशदान का 1.4.2008 को अथवा इसके बाद भुगतान सरकार करेगी।

9. **विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

10. **विकलांग व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस प्रावधान में विकलांग छात्रों को एम.फिल, पीएच.डी के लिए अनुसंधान अध्ययन करने और विश्वविद्यालयों, संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समतुल्य अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

11. **विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम:** इस यूनिवर्सल डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान/केन्द्र की स्थापना हेतु प्रावधान शामिल है। इस प्रावधान में विकलांगजन हेतु उच्च श्रेणी शिक्षा और विकलांगजन हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना और वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** यह राज्य योजना स्कीम जिसके पास पीडब्ल्यू डी समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के लिए हॉस्टल जैसे घटक होंगे और अन्य सभी क्रियाकलापों के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिनियम का क्रियान्वयन अपेक्षित होगा।

13. **द्विपक्षीय करारों के तहत द्रव्य सहायता संबंधी संवितरण व्यय:** द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से संबंधित परिवहन तथा आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है। करारों में गरीब और जरुरतमंद लोगों के सहायतार्थ और उन्हें राहत देने के लिए उनके पुनर्वास के लिए इस मंत्रालय में पंजीकृत प्राप्तकर्त्ता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दान स्वरुप दी गई आपूर्तियों को भारत में निशुल्क लाने की अभिकल्पना की गई है।

14. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूंजी की व्यवस्था की गई है।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए है।